भारत सरकार / **Government of India**
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / **Ministry of Finance, Department of Revenue**
कार्यालय उप जोधपुर ,सीमा शुल्क संभाग ,सहायक आयुक्त/
OFFICE OF THE DEPUTY/ASSISTANT COMMISSIONER, CUSTOMS DIVISION, JODHPUR
कुचामन हाउस, पाँच बत्ती सर्किल, रातानाडा, जोधपुर-342011
Tel.No. 0291-2512892/e-mail: jd.aocustomdivision@gmail.com

F. No. I-22(3)Admn/2024/ Dated:15.04.2024

टेंडर नोटिस संख्या: 02/ 2024

कार्यालय सुरक्षा सेवाओ हेतु ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2024–25 (01.05.2024 से 30.04.2025) के लिए कार्यालय अपर आयुक्त, सीमा शुल्क उप–आयुक्तालय, कुचामन बंगलो, पांच बत्ती चौराहा, रातानाडा, जोधपुर स्थित कार्यालय भवन की सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत सुरक्षा सेवाप्रदाता फर्मो /एजेन्सीयों से GeM Portal द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तो का विवरण विभागीय वेबसाईट **GeM Portal** अथवा http://rajasthancustoms.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञप्ति में किसी भी संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल उक्त वेबसाईटस् से ही जारी किया जायेगा, न्यूज पेपर में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

अधीक्षक(प्रशासन)
15/04/24
अधीक्षक प्रशासन (डी.डी.ओ.)
सीमा शुल्क संभाग
जोधपुर

अनुलग्नक 'अ'

(अ) **कार्यालय का पूर्ण पता एवं कार्य का विवरण –**

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2024–25 (01.05.2024 से 30.04.2025) के लिए कार्यालय अपर आयुक्त, सीमा शुल्क उप–आयुक्तालय, कुचामन बंगलो, पांच बत्ती चौराहा, रातानाडा, जोधपुर स्थित कार्यालय भवन की सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत सुरक्षा सेवाप्रदाता फर्मो /एजेन्सीयों से GeM Portal द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती है।

अनुलग्नक 'ब'

(ब) **निविदा प्रकिया–**

1. निविदा दो भागों में स्वीकार की जाएगी –(1) तकनीकी निविदाएवं (2) वित्तीय निविदा। तकनीकी निविदा के लिए अनुलग्नक 'क' में एवं निविदा स्वीकृति पत्र (अनुलग्नक 'ख') में निर्धारित प्रपत्र पूर्ण करके अलग–अलग संलग्न/अपलोड करना होगा।

निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) केवल GeM Portal पर ऑनलाइन जमा की जाएगी। निविदा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं की जायेगी। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने या GeM Portal से संबंधित कोई भी प्रश्न के लिए GeM Portal हैल्पडेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है। इस सम्बंध में इस कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

योग्य निविदा के लिए शर्तेः–

2. निविदाकर्ता को श्रम विभाग, ई.एस.आई, भविष्य निधि एवं GST में पंजीकृत होना चाहिए, जोकि 3 वर्ष पूर्व पंजीकृत किया गया हो तथा उसे इस कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ विगत 3 वर्षों की सम्बंधित लेखो की प्रति (बैंलेन्स सीट) एवं चार्टड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र (स्वयं द्वारा प्रमाणित) एवं टीडीएस प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। विगत एक वर्ष जनवरी–2023 से दिसम्बर 2023 तक कम से कम 20 ठेकाधीन कर्मचारियों की पी.पी.एफ. एवं ईएसआई कटौती की ई.सी.आर. व बैंक रसीद संलग्न करें जो निविदा निकालने की दिनांक से पूर्व जमा होना सुनिश्चित हो तथा साथ ही विगत दो वर्षों की आयकर विवरणी व GST विवरणी निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकर्ता के पास वैध Permanent Account Number (PAN) तथा GST से पंजीकरण होना चाहिए। यदि किसी फर्म को कार्यकाल के दौरान किसी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया हो तथा उसकी अमानत राशि जब्त कर ली गयी हो, तो वह फर्म निविदा भरने के योग्य नहीं है।

3. सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध के सफल प्रदर्शन के उद्‌देश्य से (Performance Security-to ensure due performance of the contract, Performance Security is to be obtained from the successful bidder awarded the contract) ठेके के कुल मूल्य का 3 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी जो किसी राष्ट्रीयकृत/कॉमर्शियल बैंक का हो, Performance Security के तौर पर एक माह के भीतर–भीतर प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), सीमा शुल्क संभाग जोधपुर के नाम बनवाकर विभाग के पास जमा कराना होगा, जोकि सम्पूर्ण ठेका अवधि के समाप्ति (पूर्ण होने) के पश्चात भी अगले 60 दिनों के लिए वैध होना चाहिए ।

4. यदि सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर–भीतर कार्य नहीं संभाला जाता है अथवा ठेकाधीन कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवा पाता है अथवा Performance Security जमा नही करवाता है अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य निष्पादित करने की अनिच्छा लिखित में प्रस्तुत करता है तो सम्बंधित फर्म को विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है यदि सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर–भीतर कार्य नहीं संभाला जाता है अथवा ठेकाधीन कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवा पाता है अथवा Performance Security जमा नही करवाता है अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य निष्पादित करने की अनिच्छा लिखित में प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण Performance Security राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा उसके अगले निम्न

उत्तरदायी निविदाकर्ता (Next Lower Responsive Bidder) को उक्त न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता की दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

5. निविदाकर्ता को चाहिए कि वह अनुलग्नक 'स' में उल्लेखित निबंधन एवं शर्तों से संतुष्ट होने पर ही अपनी निविदा प्रस्तुत करे। इस हेतु निविदादाता अनुलग्नक 'स' के निबंधन एवं शर्तों पर पृष्ठ नम्बर अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा अंतिम पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर मय मोहर के हस्ताक्षर करेगा तथा उसे तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करेगा। निविदा के साथ लगाए गए सभी दस्तावेजों पर भी पृष्ठ नम्बर अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के मय मोहर हस्ताक्षर होने चाहिए।

6. अपूर्ण भरी हुई निविदाएं या गलत सूचनाएं पाई जाने पर निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी।

7. किसी भी निविदाकर्त्ता द्वारा कार्यादेश या उसके किसी भी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिये नहीं सौंपेगा या उपभाड़े (सबलैट) पर नहीं दिया जायेगा।

8. सभी तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन, निर्धारित मूल्यांकन समिति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जाऐगा। तथा तकनीकी निविदा की स्वीकार्यता के संम्बंध में निर्धारित मूल्यांकन समिति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। इस सम्बंध में कोई पत्राचार नही किया जाऐगा।

9. सफल निविदादाता (फर्म) को आदेश प्राप्त होने के 05 दिवस की अवधि के भीतर रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प जो कि छः माह से पूर्व का नहीं हो, पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।

10. फर्म को स्वंय द्वारा सत्यापित न्यूनतम मजदूरी देय तथा फर्म के विरूद्ध कोई भी पुलिस केस दर्ज नहीं होने के संबंध में प्रमाण–पत्र संलग्न करना सुनिश्चित करें।

Note: If any firm quotes "Nil" charges/consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered. Service charges should be adequate to meet statutory deductions towards TDS and such other levies laid by Government. In case of the quoted service charge is less than such statutory deductions, then the bid will be summarily rejected.

(स) निबंधन एवं शर्ते

1. ऐजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सुरक्षाकर्मी जो 50 वर्ष की आयु से अधिक ना हो तथा स्वस्थ्य हो तथा उनके पूर्ववर्ती चरित्र एवं आचरण को सत्यापित करवाना होगा।
2. ऐजेन्सी को तैनात किये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों के नाम, पते पूर्ण विवरण एवं पूर्व में जहां तैनात रहे थे के प्रमाण एवं उनके द्वारा जारी प्रशंसापत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।
3. ऐजेन्सी को, किसी भी समय, बिना कारण बताये विभाग द्वारा आपति होने पर वांछित किसी भी सुरक्षाकर्मी को तैनात करना या उन्हें हटाना होगा।
4. ऐजेन्सी को सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रतिनिधि तैनात किये गये सुरक्षाकर्मियों के कर्तव्य के दौरान अनुशासन एवं दक्षता का निरीक्षण करेगा।
5. ऐजेन्सी को सुरक्षाकर्मियों के लिए निर्धारित वर्दी उनके नाम के बैज आदि प्रदान करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका उपयोग तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा उचित प्रकार से करेगें। सुरक्षाकर्मी शिफ्ट प्रणाली के अनुसार प्रतिदिन 8 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।
6. एजेंसी अग्निशमन सुरक्षा कार्यो के सभी पहलुओ सहित प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड तैनात करेंगी।
7. आगंतुको का विवरण विभागीय प्रकिया के अनुसार निर्धारित दस्तावेजो के अनुसार रिकार्ड बनाना होगा तथा उन्हें उचित एवं सम्मानजनक रूप से सहयोग करना होगा।
8. ऐजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होंगा कि किसी भी कारणवश किसी भी सुरक्षाकर्मी को अन्य विभाग/संस्थान में प्रतिस्थापन करना चाहेगी तो विभाग की सहमति एवं पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
9. ऐजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा तैनात किये गये सुरक्षाकर्मी अनुशासित हो तथा भारत सरकार/राज्य सरकारो या किसी संघ शासित प्रदेश के के हितो के लिए पूर्वाग्रह से संबंधित किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं ले।
10. विभाग के निर्देशानुसार दिन–प्रतिदिन के कार्यो/सेवाओ के संबंध में विचार–विमर्श/ परामर्श किया जायेगा।सुरक्षा प्रणालियों के कुशल कामकाज के प्रस्तावों पर ऐजेंसी द्वारा समय–समय पर विभाग की मंजूरी के साथ चर्चा,विचार और कार्यान्वयन किया जायेगा।
11. ऐजेन्सी न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआई आदि के प्रावधानो के अनुपालन के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगी। ऐजेन्सी के द्वारा तैनात कर्मियों से संबंधित या उनके कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना एवं इससे संबंधित किसी भी तरह के खर्चो के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। ऐजेंसी को किसी भी कारण से विभाग द्वारा बिल के निपटान में देरी के बावजूद भी निर्धारित तिथि तक उनके द्वारा लगाये गये श्रमिको को मजदूरी का भुगतान करना होगा। ऐजेंसी अपने कर्मियों के बीमा के लिए जिम्मेदार होगी तथा सुरक्षा ऐजेंसी विशेषरूप से विभिन्न कानूनों/अधिनियमों के अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
12. कार्यालय में किसी भी तरह की चोरी, हानि या अन्य अपराधों के मामलो में एजेंसी जांच करेगी एवं विभाग को रिपोर्ट करेगी तथा एजेन्सी अपने स्तर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवायेगी यदि जहां कहीं आवश्यक हुआ तो विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो दोनो पक्षो की संयुक्त जांच आयोजित की जायेगी एवं जिम्मेदारी तय की जायेगी।
13. सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा जिम्मेदारियों के निर्वहन में होने वाले विलम्ब के कारण विभाग को होने वाले किसी भी नुकसान के मामले में, विभाग को ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से उचित राशि काटने एवं शास्ति लगाने का अधिकार होगा। सुरक्षा कर्मियों द्वारा निरन्तर चूक के मामलो में, विभाग को किसी भी समय, बिना कारण बताये अनुबंध समाप्त करने या किसी भी अन्य कार्यवाही का अधिकार होगा।
14. किसी भी सुरक्षाकर्मी के अवकाश पर होने, अनुपस्थित होने की स्थिति में एजेन्सी को उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
15. विभाग को जब भी अस्थाई तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होगी तो एजेन्सी को उन्हीं नियमो एवं शर्तो एवं दरो पर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने होंगे। एजेन्सी द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित/सोया हुआ या अन्य अनियमित गतिविधियों में पाया जाता है तो विभाग एजेंसी के बिल से अनुपातिक रूप से राशि काटने एवं जुर्माना लगाया जा सकता है।
16. एजेंसी सुरक्षा डेस्क व्यवस्था बनाना होगा जिसमें उनके द्वारा तैनात कर्मियों के दैनिक आगमन एवं प्रस्थान समय का उपस्थिति रिकार्ड का रखरखाव करना होगा। ऐजेन्सी को सुरक्षाकर्मीयों के उपस्थिति रिकार्ड की सत्यापित प्रति मासिक बिल के साथ संलग्न करनी होगी।
17. अनुबंध की अवधि के दौरान सरकार द्वारा सुरक्षा कर्मियो के वेतन एवं भत्ते में वृद्धि होने/संशोधित होने की स्थिति में विभाग द्वारा ऐजेन्सी को बढी हुई राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा एजेन्सी को अनुबंध में तय राशि का ही भुगतान किया जायेगा किन्तु एजेन्सी को अपने कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।

18. एजेन्सी द्वारा तैनात किये जाने वाले सुरक्षाकर्मी पढने–लिखने का न्यूनतम प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए तथा सुरक्षा डेस्क पर रखे गये रजिस्टरों में, कार्यालय में प्रवेश करने वाले आगन्तुको के नाम, पता एवं आगमन एवं प्रस्थान समय का इन्द्राज करने में सक्षम हो।
19. एजेन्सी को नियम एवं शर्तो की व्याख्या के संबंध में विभाग का निर्णय एवं अनुबंध को मानने के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
20. एजेंसी एवं विभाग के मध्य किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में विभाग को निर्णय लेने का अधिकार होगा जो मान्य होगा।
21. निर्देशो/अनुबंध या तथ्यों के छिपाने का कोई भी उल्लघंन करने की स्थिति में तुरन्त अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

(द) <u>भुगतान की शर्ते</u>–

1. सेवाप्रदाता प्रतिमाह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से दो प्रतियों में कार्यालय में मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा। सेवाप्रदाता को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत् प्रचलित टीडीएस व जीएसटी टीडीएस की कटौती कर भुगतान किया जाएगा। अधिकृत अधिकारी से संतोषजनक कार्य किए जाने संबंधित प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
2. **सेवाप्रदाता हर माह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने प्रत्येक कर्मचारी को केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत तय की गई मजदूरी की दरों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया है तथा पीएफ/ईएसआई व जीएसटी के प्रावधानों का अनुपालन किया है। उसे समयानुसार पीएफ, ईएसआई सम्बंधित स्टेटमेंट/चालान तथा जीएसटी से सम्बन्धित चालान आदि दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।**
3. सेवाप्रदाता द्वारा हर माह पिछले माह की मजदूरी का भुगतान करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
4. यदि किसी अपरिहार्य कारणो वश इस कार्यालय द्वारा मासिक मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में सेवाप्रदाता फर्म को अपने कर्मचारियों का पूर्ण भुगतान करना होगा।
5. यदि इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई कि सेवाप्रदाता अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहा है तो उसके बिल/जमा करवाई गई Performance Security से उनके मजदूरों को देय भुगतान की राशि काट कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
6. सेवाप्रदाता को, वसूली की जाने वाली राशि की कटौती करके, यदि कोई हो तो, प्रतिमाह फर्म के बैंक खाते में ई–पेमेन्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा।
7. अनुबंध की शर्तो की पालना नहीं करने पर या सुरक्षा सेवाओ में शिकायत प्राप्त होने या कार्य पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं होने पर इस कार्यालय द्वारा सेवाप्रदाता के बिल में से उचित राशि की कटौती की जाएगी। सेवाप्रदाता के किसी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने पर या संतोषजनक कार्य नहीं करने पर न्यूनतम ₹200/– प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जाएगी तथा उक्त राशि की वसूली सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिल में से की जाएगी। शास्ति आरोपण के सम्बन्ध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा तथा सेवाप्रदाता के लिए बाध्यकारी होगा तथा यह किसी प्रकार के विवाद का विषय नहीं होगा।

तकनीकी निविदा

सुरक्षा सेवा की निविदा के लिए आवश्यक पूर्व–योग्यता निर्धारण हेतु प्रोफार्मा

01	एजेन्सी का नाम	
02	डायरेक्टर/पार्टनर/प्रोपराईटर का नाम	
03	पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल/फैक्स नम्बर	
04	सम्पर्क व्यक्ति का विवरण (नाम/पता/टेलिफोन नम्बर)	
05	एजेन्सी का विवरण (क्या एजेन्सी प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप/कम्पनी है)	
06	आयकर पैन नम्बर (फोटोप्रति संलग्न करें) विगत 2 वर्ष की आयकर विवरणिका संलग्न करें।	
07	जीएसटी पंजीकरण संख्या (फोटो प्रति संलग्न करें) विगत 2 वर्ष की जीएसटी विवरणिका संलग्न करें।	
08	क्या फर्म कॉन्ट्रेक्ट (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत एवं अनुज्ञादारी है (प्रति संलग्न करें)	
09	रीजनल प्रोविडेंट फंड कार्यालय द्वारा आवंटित प्रोविडेंट फंड संख्या (प्रति संलग्न करें)	
10	ईएसआई पंजीकरण संख्या (प्रति संलग्न करें)	
11	सिक्यूरिटी लाइसेंस सं. (प्रति संलग्न करे)	
12	गत दो वर्षों का अनुभव का विवरण (कृपया सरकारी/पब्लिक अण्डरटेकिंग का कार्यआदेश/सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
13	अन्य सरकारी/पब्लिक अण्डरटेकिंग जहां वर्तमान में कार्य लिया हो की सूची मय प्रमाण पत्र	
14	फर्म के कुल स्टॉफ/कर्मचारियों की संख्या	
15	धरोहर राशि का विवरण	

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार उक्त दी गई सूचनाएं पूर्ण एवं सही है। मैं/हम जानते हैं कि उक्त दिए गए विवरण में कोई भी सूचना या विवरण गलत पाया जाता है तो सुरक्षा सेवा के अनुबंध को निरस्त किया जा सकजा है, अमानत राशि जब्त की जा सकती है एवं भविष्य में हमें ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।

हस्ताक्षर मय तिथि ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

फर्म का नाम ....

मोहर ....

अनुलग्नक 'ख'

TENDER ACCEPTANCE LETTER
(To be given on Company Letter Head)

To,

____

____

____

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

Tender Reference No: ______________________

Name of Tender / Work: -

____

____

____

____

Dear Sir,

1 . I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from the web site(s) namely:

____

____

as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

2. I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents from Page No. _______ to ______ (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc .,), which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.

3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organisation too have also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.

4. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirety.

5. In case any provisions of this tender are found violated, then your department/ organisation shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)